# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

15

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1986—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—06—16 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 968/अपील/2015—16.

.....

बृजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रंगनाथ सिंह गहरवार
निवासी ग्राम हर्दिया पवाई तहसील चुरहट
जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1—रामभिलाष पटेल पिता जमुना पटेल
2—यज्ञशरण पटेल पुत्र स्व0 श्री रामप्यारे पटेल
3—भगमनियां पत्नी स्व0 अयोध्या पटेल
4—बसंत पटेल पुत्र स्व0 अयोध्या पटेल
5—अमुतलाल पटेल पुत्र स्व0 अयोध्या पटेल
6—गीता पटेल पत्नी स्व0 मनोज पटेल
7—दीपक पटेल पुत्र स्व0 मनोज पटेल
8—प्रकाश पटेल पुत्र स्व0 मनोज पटेल
9—शंभूनाथ पटेल पुत्र स्व0 राममनोखी पटेल (मृत)
अ—रामवती पटेल पत्नी शंभू पटेल
निवासी रामनगर तहसील चुरहट जिला सीधी
ब—सुनीता पटेल पत्नी दिवाकर पटेल
निवासी धुम्मा तहसील चुरहट जिला सीधी
स—गीता पटेल पत्नी तीरथ पटेल
निवासी धुम्मा तहसील चुरहट जिला सीधी
द—अरूण पटेल पत्नी शैलेष पटेल
निवासी पचोखर तहसील चुरहट जिला सीधी
य—शशि पटेल पत्नी राकेश पटेल
निवासी वरिगमा तहसील चुरहट जिला सीधी
र—करूणा पटेल पत्नी कमलेश पटेल
निवासी पचोखर तहसील चुरहट जिला सीधी
10—द्वारिका प्रसाद पटेल तनय राम विशाल पटेल
11—रोशनलाल पटेल तनय राम विशाल पटेल
12—गंगा रतन पटेल तनय स्व0 श्री वासुदेव पटेल
13—रामश्लेश पटेल पुत्र तनय स्व0 श्री वासुदेव पटेल

14–रामावतार पटेल तनय स्व0 श्री वासुदेव पटेल
15–पराने पटेल पुत्री तनय स्व0 श्री वासुदेव पटेल
16–शांति पुत्री वासुदेव
17–जगदीश प्रसाद पटेल पुत्र हीरालाल पटेल
18–अरूण कुमार पटेल पुत्र मंगल
19–अश्विनी पटेल पुत्र मंगल
समस्त निवासीगण ग्राम रामनगर तहसील
चुरहट जिला सीधी म0प्र0
20– म0 प्र0 शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक आवेदक
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक
क्रमांक 1 से 10, 13,17,18 एवं
श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक अनावेदक
क्रमांक 11, 12, 14, 15, 16, 19

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 21-12-17 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के आदेश दिनांक 11.3.08 के विरूद्व भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा आवेदक प्रस्तुत कर ग्राम रामनगर की आराजी खसरा क्रमांक 1613 रकवा 0.03 है0 आवेदक के पटटे की भूमि है जिये प्राथमिक शाला भवन के निर्माण हेतु दे दिया था, जिसे भवन बनकर विद्यालय संचालित है एवं भूमि क्रमांक 1620 रकवा 0.71 है0 में 0.37 एकड़ थी जिसमें कलेक्टर जिला सीधी द्वारा म0 प्र0 शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–16/78/2009/सात/2–ए, भोपाल दिनांक 15 जनवारी 2010 के अनुसार अदला बदली के अधिकार कलेक्टर से वापिस लिये जाने से निरस्त किया गया था। आवेदक द्वारा पुनः सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया

था जिसमें अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–19(4) 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12.1.16 को शासन की भूमि घोषित करने के आदेश दिये जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 7.6.16 को प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है अपर आयुक्त द्वारा ने अपने न्यायिक विवेक का सही रूप से उपयोग नहीं किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा भी तर्क किया गया है कि कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश जिसके विरूद्व अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसका पालन राजस्व अभिलेख में हो चुका है। विनमय में प्रार्थी को प्राप्त भूमि पर प्रार्थी का नाम अंकित होकर प्रार्थी के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर म0 प्र0 शासन अंकित हो चुका है। विवादित आदेश द्वारा अंकन को पूर्ववत दर्ज करने का आदेश देना न्यायोचित नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा एक तो मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है और दूसरी ओर शासन का नाम यथावत रखने का आदेश दिया है जो न तो न्यायिक है और न ही स्पष्ट आदेश है। जब यथास्थिति का आदेश दिया गया है तब मौके पर एवं अभिलेख में यथास्थिति रखना चाहिये थी न कि कोई परिवर्तन करना था। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है विवादित आदेश पारित करने के पूर्व कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे। तथा आदेश दिनांक 7.6.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्तागण के द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त किया जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश की प्रतियां एवं अन्य

दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसका अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि पर जबरिया कब्जा करने तथा जे0 सी0 बी0 से निर्माण को गिराने तथा वादग्रस्त भूमि पर बनी पक्की सडक को छति पहुंचाकर कब्जा कर रहा था इसलिये अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थगन दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख पर लेने हेतु अन्तर्गत आदेश 41, नियम 27 सी0 पी0 सी0 सहपठित धारा 32 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत कर उसके साथ माननीय जिला न्यायाधीश सीधी में प्रस्ततु सिविल अपील 1/ए/16 प्रस्तुत की थी लेकिन उसमें कोई स्थगन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रकिया नहीं रोकी जा सकती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का अंतिरिम आदेश दिनांक 7.6.16 स्थिर रखने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 968/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 7.6.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर